उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 87/2017/879/92-2-2017-04मा0/2014

लखनऊ :: दिनांक:: 05 जून, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

पूर्वान्चल विकास निधि योजनान्तर्गत जनपद-प्रतापगढ. की विधानसभा क्षेत्र कुण्डा के अर्न्तगत वर्ष 1992-93 मे जारी स्वीकृतियों तथा आश्वासन संख्या-675-30-92-92 के क्रम में टी0ए0सी0 द्वारा की गयी जांच में कार्यों के अधोमानक पाये जाने तथा निर्मित संपर्क मार्ग बहादुरपुर से अहिबरनपुर एवं परियावां लवाना मार्ग से कोथरिया संपर्क मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप परिलक्षित कुल शासकीय क्षति क्रमश: रू0 451.00 एवं रू0 487.00 के लिए उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-2212/92-2-2016-04आ0/2014 दिनांक 19-12-2016 द्वारा श्री फखरूद्दीन खां, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ. सम्प्रति अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड-फतेहपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण का आदेश निर्गत किया गया। श्री फखरूद्दीन द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 21.02.2017 शासन में प्रस्तुत किया गया। टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति राजकीय कोष में जमा की जा चुकी है।

2-अपचारी अधिकारी, श्री फखरूद्दीन के विरूद्ध नियम-10(2) के तहत निर्गत स्पष्टीकरण एवं अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण तथा संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री फखरूद्दीन तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ. सम्प्रति अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड-फतेहपुर के विरूद्ध शासन के पत्र दिनांक 19-12-2016 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-87 /2017/879(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री फखरूद्दीन तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ. सम्प्रति अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड-फतेहपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0 वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 शफ़कत कमाल)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in